प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 29.05.2024

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा मोबाइल लूट करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 05 मोबाइल फोन बरामद ।

घटना का विवरणः- दिनांक 27/05/2024 को वादिया ने थाना कोतवाली नगर पर तहरीर दी कि दिनाँक 26/05/24 को वादिया उपरोक्त भाटिया मोड़ से नन्दग्राम जाने के लिए ई रिक्शा मे जा रही थी, एक मोटर साईकिल पर दो लडके पीछे से आये और मोटर साईकिल पर बैठे लड़के ने वादिया का फोन छीन कर ले गये, उक्त घटना का संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली नगर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरणः- घटना का अनावरण हेतु टीमो का गठन किया गया। सभी टीमो द्वारा अथक प्रयास मैनुअल इन्टेलीजेन्स, लोकल इनपुट व सीसीटीवी कैमरो की मदद से दिनांक 28.05.2024 को लूट करने वाले वाँछित अभियुक्त सुहैल पुत्र अफसर पता मौहल्ला बाजीगरान डासना थाना वेव सिटी जिला गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष को चौधरी मोड से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 05 मोबाइल फोन बरामद किये गये है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि अपने शौक पूरे करने के लिये लूट करता है। कुछ दिन पहले मैंने व मेरे साथी ने मिलकर ई रिक्शा मे जा रही महिला से फोन छीना था।

नाम पता अभियुक्त

1- सुहैल पुत्र अफसर पता मौहल्ला बाजीगरान डासना थाना वेव सिटी जिला गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष।

आपराधिक इतिहास सुहैल पुत्र अफसर

अभियुक्त सुहैल पुत्र अफसर के विरुद्ध कुल 07 अभियोग पंजीकृत हैं जिनमें लूट से संबंधित 06 व मारपीट से संबंधित 01 अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण-

1. 05 मोबाइल फोन

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम

थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट मे वांछित 25,000/- रुपये का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 29.05.2024 को थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा थाना इंदिरापुरम पर गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग मे वांछित चल रहे 25,000/-रुपये के इनामी अभियुक्त सौरभ कुमार गुप्ता पुत्र विरेन्द्र कुमार गुप्ता वर्तमान पता म0नं0 1400/18 गली नं0 18 मयूर विहार निकट त्रिलोकपुरी दिल्ली स्थायी पता म0नं0 533 शाहिल पब्लिक स्कूल के पास दामोदर विहार खोडा कालोनी गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष को खोडा अंडर पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का एक संगठित गिरोह है। जो अपने अन्य साथीयों के साथ मिलकर लूट जैसे संगीन अपराध करके धन अर्जित करते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः

सौरभ कुमार गुप्ता पुत्र विरेन्द्र कुमार गुप्ता वर्तमान पता म0नं0 1400/18 गली नं0 18 मयूर विहार निकट त्रिलोकपुरी दिल्ली स्थायी पता म0नं0 533 शाहिल पब्लिक स्कूल के पास दामोदर विहार खोडा कालोनी गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः

अभियुक्त सौरभ कुमार गुप्ता उपरोक्त के विरुध्द थाना इंदिरापुरम पर लूट के 02 अभियोग व गौतम बुध्द नगर सै0 63 नोएडा में लूट के 02 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 04 ई-रिक्शा बरामद।

कार्यवाही का विवरणः दिनांक 27.05.2024 को थाना लिंकरोड पर वादी मुजफ्फर हुसैन पुत्र रियासत अली निवासी मोहिद्दीनपुर डाबरी थाना मसूरी गाजियाबाद ने तहरीर दी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी का ई-रिक्शा चोरी कर लिया गया है। तत्काल लिंकरोड पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर घटना को गम्भीरता से लेते हुये टीमों का गठन किया गया। सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस टीम व मुखबिर की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान दिनांक 29.05.2024 को उक्त घटना को कारित करने वाला अभियुक्त शाहिनूर पुत्र आस मौहम्मद निवासी-बिलाल मस्जिद के पास सुल्तान चौक हिण्डन विहार थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद को साहिबाबाद मंडी के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी के 04 ई-रिक्शा बरामद हुए। अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण: अभियुक्त उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि वह अपने दोस्त सलमान के साथ मिलकर सब्जी मंडी व भीड वाले स्थानों से मौके का फायदा उठाकर ई-रिक्शा के डायरेक्ट कनेक्शन जोड़कर बिना चाबी के स्टार्ट कर चालू करके ले जाते है। जिनको चोरी के बाद दीवान पार्किंग हिंडन विहार में अपना बताकर खडा कर देते हैं तथा ग्राहक मिलने पर सस्ते दामों में बेच देते हैं। इस प्रकार अपने शौक मौज पूरा करते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. शाहिनूर पुत्र आस मौहम्मद निवासी बिलाल मस्जिद के पास सुल्तान चौक हिण्डन विहार थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष
2. सलमान निवासी सुल्तान चौक अफसा मस्जिद के सामने हिण्डन विहार थाना नन्दग्राम गाजियाबाद (वांछित)

बरामदगी का विवरण:

- कब्जे से चोरी के 04 ई-रिक्शा व 02 नंबर प्लेट बरामद।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम:

थाना लिंकरोड पुलिस टीम

थाना क्षेत्र मसूरी डासना स्थित इंटरनेशनल एग्रो फूड्स बूचड खाना में अमानवीय परिस्थिति में कार्यरत 57 बच्चो को रैस्क्यू आपरेशन के माध्यम से मुक्त कराये जाने के सम्बंध में

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली को यह शिकायत प्राप्त हुई कि गाजियाबाद में एक स्लॉटर हाउस चलाया जा रहा है जिसमें बिहार, पश्चिम बंगाल राज्य से लगभग 40 बच्चे उक्त स्लॉटर हाउस में अमानवीय परिस्थिति में कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है। उक्त मामले की संवेदनशीलता व गंभीरता को देखते हुए मा0 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली की टीम, मुक्ति फाउंडेशन, अपर पुलिस उपायुक्त अपराध, श्रम विभाग की टीम, उप-जिलाधिकारी, सहायक पुलिस आयुक्त मसूरी, ए०एच०टी०यू० थाना प्रभारी, चाइल्ड लाइन की टीम द्वारा संयुक्त अभियान चलाते हुए आज दिनांक 29.05.2024 को मसूरी थाना क्षेत्रान्तर्गत इंटरनेशनल एग्रो फूड्स जोकि एक मीट फैक्ट्री हैं तथा पशुओ के मांस संवर्धन तथा निर्यात का कार्य करती हैं, पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए रैस्क्यू आपरेशन चलाया गया। उक्त रैस्क्यू आपरेशन में कुल 57 नाबालिग बच्चो को, जो उक्त बूचडखाने में अमानवीय परिस्थितियों में कार्य करते हुए पाये गये, को मुक्त कराया गया। उक्त 57 नाबालिग बच्चो में 31 नाबालिग लडकियां व 26 नाबालिग लडके शामिल हैं, जो मूल रूप से उ0प्र0, बिहार व बंगाल आदि राज्यो के रहने वाले हैं, जिनका नियमानुसार चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा हैं एव बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा हैं। इंटरनेशनल एग्रो फूड्स का मेन कारोबार मीट प्रोसेसिंग, फीजिंग व भारत से बाहर अन्य देशो में एक्सपोर्ट का है जिसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

क्राइम ब्रान्च द्वारा मोबाइल टावरों के उपकरण चोरी करने वाला 01 अन्तर्राज्यीय वाँछित/50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का करीब 12 लाख रूपये का माल बरामद

दिनांक-03/05/24 को क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा गाजियाबाद, दिल्ली एन0सी0आर क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश में जियो व एअरटेल के मोबाइल टावरों से बैट्री, आर0आर0 यूनिट व अन्य इलैक्ट्रानिक डिवाईस चोरी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के 06 शातिर अपराधियो को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 04 करोड़ रूपये का मोबाइल टावरो से चोरी का माल, चोरी करने मे प्रयुक्त उपकरण व चोरी मे प्रयुक्त वाहनो को बरामद करने में महत्तवपूर्ण सफलता हासिल की गयी थी जिसमें इस गिरोह के अन्य 07 सदस्य फरार चल रहे थे जिस क्रम में दिनांक-22/05/2024 को क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा इसी गैंग के 50-50 हजार रूपये के ईनामी 03 शातिर फरार अभियुक्तयों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गयी थी जिनके कब्जे से करीब 60 लाख रूपये का मोबाइल टावरो से चोरी का माल तथा चोरी करने में प्रयोग की जाने वाली कार वैगनार बरामद हुई थी।

इसी क्रम मे आज दिनांक-29/05/2024 को क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा उपरोक्त गैंग के 50 हजार रूपये के ईनामी फरार शातिर अभियुक्त जुबैर को थाना नन्दग्राम क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से जियो व एअरटेल कम्पनी के टावरों की 02 रेडियो रिसीवर यूनिट बरामद हुई। अभियुक्त की गिरफ्तारी पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा दिनाँक-08/05/24 को **50 हजार रूपये का नगद पुरस्कार** घोषित किया गया था।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर पकडे गये शातिर अभियुक्त जुबैर ने बताया कि वह 12वीं तक पढा है। जुबैर की बहन की शादी जावेद मीरापुरिया के छोटे भाई वसीम से हुई हैं। पढाई के बाद जुबैर ने गुजरात में अपने भाई के साथ पुराने एलईडी बल्ब की फेरी लगाने का काम किया तथा कुछ दिन कबाड खरीदने बेचने की भी फेरी का भी काम किया पर इसमें ज्यादा फायदा नही हुआ और गुजरात से वापस आ गया। वापस आने के बाद काम के सिलसिले में वह अपने जीजा वसीम से मिला जिसने उसे मोबाइल टावर के आर0आर0यू0 व अन्य उपकरण की चोरी व उसमे काफी लाभ होने की बात बतायी और चोरी करने वालो से मिलवा दिया तभी से वह उनके साथ मोबाइल टावरों से चोरी करने लगा। इसके बाद जुबैर ने अपने जीजा के बडे भाई जावेद मीरापुरिया की बताई हुई पार्टियों के साथ चोरी कर व अन्य पार्टियो से चोरी का माल लेकर वसीम व जावेद को पहुँचाने लगा।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया पिछले कुछ वर्षों से मोबाइल टावरों की बैट्री, रेडियो रिसीवर यूनिट व अन्य इलैक्ट्रोनिक डिवाईस की चोर बजारी में काफी माँग चल रही है मोबाइल टावरों पर लगे उपकरण काफी मँहगे होते है और इनको चुराना काफी आसान होता है और इसकों ट्रान्सपोर्ट करने में कोई समझ भी नही पाता हैं।

हमनें मिलकर अपना एक संगठित गिरोह बना लिया। हमारे गिरोह मे मेरे अलावा मेरा जीजा वसीम व उसका बडा भाई जावेद मीरापुरिया, कैफ, सुमित कसाना, राहुल गोयल, शुएब मलिक, वसीम अलवी, सुहेल मलिक, अल्ताफ, नईम, मेहराजुद्दीन व शहजाद शामिल है। हमारे गिरोह के सुहेल मलिक, वसीम अलवी, व अल्ताफ दिल्ली एन0सी0आर0 मे दिन में कबाडे की फेरी करके कबाडे का काम करते थे और जिस मोबाइल टावर से इनको चोरी करनी होती है उसको ये लोग दिन के समय ही कबाडे की फेरी करते हुए चिन्हित कर लेते थे राहुल गोयल यह बता देता था कि किस टावर पर कौन सा आर0आर0यू0 व अन्य उपकरण लगे है और उसे कैसे खोलना है क्योकिं वह टेलीकॉम कम्पनी में ही काम करता था। घटना स्थल पर जाने के लिए गाडी का इन्तजाम सुहेल करता था रात्रि के समय मे उस गाडी से ये लोग चिन्हित किये गये टावर पर पहुँच जाते थे और इनके दो-तीन साथी मोबाइल टावर पर चढ जाते थे और औजारों की मदद से उसमे लगे रेडियो रिसिवर यूनिट, बैट्री व अन्य कीमती उपकरण चोरी कर लेते थे, चोरी करने के बाद चोरी किया सामान ये लोग उसी गाडी मे रखकर फरार हो जाते थे। राहुल इन लोगो को सभी उपकरणों के बारे मे बताता है कि कौन सा उपकरण क्या है और कितना मँहगा है। चोरी किये गये माल को बेचने के लिए कैफ, शुएब, सुमित, नईम, मेहराजुद्दीन व जुबैर उस माल को जावेद व उसके भाई वसीम को पहुँचाते थे। जावेद व वसीम से चोरी के माल का पैसा लेकर जुबैर के द्वारा बाकी लोगो को दिया जाता था। अपने-अपने हिस्से मे आये रूपयो से ये लोग अपने शौक व खर्चे पूरे करते है।

पूछताछ करने पर पकडे गये अभियुक्त जुबैर ने यह भी बताया कि इन लोगो ने पश्चिमी बंगाल, बिहार महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गाजियाबाद, नोएडा दिल्ली एन0सी0आर0 व पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे कई स्थानों पर मोबाइल टावरो से रेडियो रिसिवर यूनिट, बैट्री व अन्य कीमती उपकरण चोरी किये है। पूछताछ पर मोबाइल टावरो से रेडियो रिसीवर यूनिट, बैट्री व अन्य कीमती उपकरण चोरी करने वाले अन्य अपराधियों के सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं। जिसके आधार पर टीमें बनाकर माल बरामदगी व गिरफ्तारी हेतु दबिशें दी जा रही हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार की पुलिस कार्यवाही से जनपद गाजियाबाद व आस-पास के क्षेत्रों में मोबाइल टावरों से रेडियो रिसिवर यूनिट, बैट्री व अन्य कीमती उपकरणों की चोरी पर रोक लगेगी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-</u>

जुबैर पुत्र असलम मूल निवासी ग्राम आलमगिरपुर उखलिना मदिना मस्जिद के पास थाना रोहटा जनपद मेरठ हाल निवासी एक मीनार मस्जीद के पास गिरी मार्केट कस्बा व थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र वर्ष 20

<u>अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण</u> –

मोबाइल टावर की रेडियो रिसिवर यूनिट-02

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

अभियुक्त जुबैर उपरोक्त के विरूद्ध राजस्थान में 06, दिल्ली में 07 व अलीगढ में 01, मु0नगर में 01 गाजियाबाद मे 03 कुल 18 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा मोबाइल फोन लूटने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूट का 01 मोबाइल फोन एवं एक अवैध चाकू बरामद

आज दिनांक 29.05.2024 को थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा थाना विजयनगर क्षेत्र मे चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना व लोकल इनपुट के आधार पर मोबाइल फोन की लूट की घटना करने वाले एक अभियुक्त सलमान उर्फ डकारू को झुग्गी झोपड़ी प्रतापविहार मन्दिर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि साहब मैं तथा मेरा साथी अमन पुत्र नोसेर चौधरी, हम लोग बाजार तथा भीड़भाड़ वाली जगहों से लोगो के मोबाइल फोन को उनके हाथों से छीनकर भाग जाते है तथा उन्हे चलते फिरते राहगीर को सस्ते दामों पर बेच देते है। जो पैसा मिलता है उसे आपस में बांट लेते है। आज भी हम मोबाइल फोन लूट कर भाग रहे थे कि आपको देखकर अमन मोटर साइकिल तेजी से मोड़कर भाग तथा मैं पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया।

नाम पता अभियुक्त

सलामन उर्फ डकारू पुत्र सलीम निवासी गली नं0 01 केलाखेड़ा सादिक की पुलिया थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष।

अपराधिक इतिहास-

अभियुक्त सलामन उर्फ डकारू पुत्र सलीम के विरुद्ध कुल 10 अभियोग पंजीकृत हैं जिनमें लूट के 04, चोरी का 01, एनडीपीएस एक्ट का 01, गुण्डा एक्ट से संबंधित 01, व आर्म्स एक्ट से संबंधित 03 अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरणः-

लूट का एक मोबाइल फोन व एक अवैध चाकू

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना विजयनगर पुलिस टीम

थाना लोनी पुलिस द्वारा हत्या की घटना का खुलासा, घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त आला कत्ल एक हथौड़ा बरामद।

कार्यवाही का विवरण -दिनांक 28.05.2024 को थाना लोनी पर जरिये पीआरवी समय करीब सुबह 08:00 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति नाम पता अज्ञात का शव गढी सब्लू के जंगल में कच्चे रास्ते पर पड़ा है। सूचना पर उच्चाधिकारी गणों व फील्ड यूनिट गाजियाबाद को अवगत कराकर पुलिस टीम मौके पर पहुँची, फील्ड यूनिट भी मौके पर आ गयी और पुलिस द्वारा आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई गई। इसके उपरान्त

वादी की तहरीर के आधार पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा अज्ञात व्यक्ति की हत्या करने के सम्बन्ध में प्रार्थना प्रत्र प्राप्त हुआ जिसमें थाना लोनी पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अनावरण/गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गयी। तत्पश्चात आज दिनांक 29.05.2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते अभियोग में विवेचना से प्रकाश में आये वांछित 01 अभियुक्त रोहित शर्मा पुत्र वासुदेव शर्मा निवासी डायमण्ड सिटी निठोरा रोड गढी सब्लू निकट काशीराम कॉलोनी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 37 वर्ष को आला कत्ल (एक हथौड़ा लौहा मय बेट लकड़ी) सहित चौकी अशोक विहार क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक 27/28.05.2024 की रात्रि को अभियुक्त रोहित शर्मा उपरोक्त किसी बात को लेकर अपनी पत्नी पूनम के साथ मारपीट कर रहा था तो अभियुक्त की पत्नी अपने बचाव में अपने मकान के बगल में बने ऑफिस के स्वामी संदीप कुमार पुत्र जगवीर सिंह निवासी गढी जस्सी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद व इसका साथी मृतक राजू उर्फ राज शर्मा पुत्र कालू शर्मा निवासी अनमोल गैस एजेन्सी के पीछे पुराना चैक पोस्ट अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद के पास पहुँची और अपने साथ पति द्वारा मारपीट करने को लेकर बता रही थी कि इतने में ही पीछे से इसका पति अभियुक्त रोहित शर्मा डण्डा लेकर मारने के लिये आया और डण्डा मारने का प्रयास करने लगा तो संदीप व राजू उपरोक्त ने समझाने-बुझाने की कोशिश की किन्तु वह नहीं माना और उत्तेजित होकर डण्डे से वार करने का प्रयास करने लगा तो इस पर संदीप व राजू ने डण्डा छीनकर अभियुक्त रोहित शर्मा को धक्का देकर गिरा दिया, इस पर वह इन दोनों के साथ भी मरने मारने को तैयार हो गया। इसके बाद अभियुक्त रोहित शर्मा वहाँ से तो चला गया किन्तु बदला लेने के लिये अपने घर से हथौड़ा लेकर पुनः ऑफिस पर आया तब तक संदीप अपने घर जा चुका था किंतु मृतक राजू पैदल-पैदल जा रहा था तो अभियुक्त रोहित शर्मा ने मृतक राजू को पीछे से सिर पर हथौड़े से वार करके हत्या कर दी गई और शव को कच्चे रास्ते के किनारे पर डाल दिया और वहाँ से फरार हो गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

रोहित शर्मा पुत्र वासुदेव शर्मा निवासी डायमण्ड सिटी निठोरा रोड गढी सब्लू निकट काशीराम कॉलोनी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 37 वर्ष

बरामदगी का विवरण

अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आला कत्ल (एक हथौड़ा लौहा मय बेट लकड़ी) बरामद।

अपराधिक इतिहास

थाना लोनी पर उपरोक्त घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना लोनी पुलिस टीम